(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1480-पीबीआर/2010 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-8-2010 - पारित द्वारा - आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर - प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343

मेसर्स गोल्ड वाटर बेबरीज प्रायवेट लिमिटेड
भिण्ड, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर (आबकारी) भिण्ड ---रिस्पाण्डेन्ट

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 4-10-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उइनदस्ता, म0प्र0 भोपाल ने मेसर्स गोल्ड वाटर बेबरीज प्रायवेट लिमिटेड भिण्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान अनियमिततायें पाने से तदाशय की निरीक्षण रिपोर्ट आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर को प्रस्तुत की गई। आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर ने निरीक्षण टीप में अंकित अनियमितताओं के आधार पर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस कमांक 5 (4)/5/1799 दिनांक 01-08-2005 जारी किया, जिसके बचाव में अपीलांट

ने लेखी उत्तर दिनांक 11-8-2005 प्रस्तुत किया। आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर ने अपीलांट की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 5-8-2010 पारित किया तथा अवैध रूप से उपयोग में लाई गई या संग्रहीत मदिर पर डयूटी के रूप में शासन को रूपये 22,76, 937/- के राजस्व की हानि होने से यह राशि अपीलांट से वसूल करने एंव मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बने मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में वर्णित एफ0एल0 लायसेंस की शर्त कमांक 13 का उल्लॅघन करने के कारण नियम 19 (1) के अंतर्गत अपीलांट पर रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित कर दी। आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में वर्णित आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि निरीक्षण के समय किसी प्रकार की अनियमिततायें नहीं थी, पूरा मामला राजनैतिक दवाव के कारण होने से नोटिस दिया है। इकाई में डी 12 पंजी लेविल वाईज एंव ब्राण्ड वाईज संधारित नहीं है किन्तु एफ.एल. 29 पंजी लेवल-वाईज एंव ब्राण्ड वाईज संधारित है जो डी 12 की प्रविष्टियों के अनुरूप है। दिनांक 8-7-05 को निरीक्षण के समय बी.व्ही. 1 बेट में व्लैण्ड था जिसके कारण रिजेल्ट नहीं ले पाये और निरीक्षण के दौरान 28.8 प्रूफ लीटर मदिरा कम मिली जो न्यूनीकरण हानि होने के समतुल्य होने से एक्साईज डयूटी की हानि पर अन्तर नहीं है। निरीक्षण के दौरान 16.3 प्रूफ लीटर मदिरा अधिक होना गेज देखने की त्रृटि है जिसकी मात्रा कम होने से फर्क नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आबकारी आयुक्त ने अपीलांट को लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है इसलिये अपील स्वीकार कर आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश

दिनांक 5-8-2010 को निरस्त किया जाय अथवा मामला पुनः सुनवाई के प्रति प्रेषित किया जाय।

रिस्पाण्डेन्ट के पैनल लायर का तर्क है कि अपीलांट ने अपील मेमो में मदिरा की कमी वेशी होना स्वीकार किया है जिसके कारण आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 सही है उन्होंने अपील निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह निर्विवाद है कि उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, म0प्र0 भोपाल ने शिकायत की जॉच के उद्वेश्य से मेसर्स गोल्ड वाटर बेबरीज प्रायवेट लिमिटेड भिण्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया है एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/अनियमितताओं को दर्शाते हुये आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर को जांच प्रतिवेदन दिनांक 12-7-2005 प्रेषित किया है। इसी जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने अपीलांट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 01-08-2005 जारी किया है, जिसके बचाव में अपीलांट ने लेखी उत्तर दिनांक 11-8-2005 प्रस्तुत किया। आबकारी आयुक्त के प्रकरण में लेखी अथवा अन्य प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग का उल्लेख अथवा ऐसा कोई मांग पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आबकारी आयुक्त ने अपीलांट को साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। स्पष्ट है कि जब यह मांग विचारण न्यायालय में नहीं की गई, वरिष्ठ न्यायालय में साक्ष्य एंव सुनवाई की मांग करना व्यर्थ है।

5/ अपीलांट द्वारा बचाव में प्रस्तुत लेखी उत्तर एंव कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 के पृष्ठ 5 के पद 3 एंव पृष्ठ 6 , 7 , 8 में विस्तृत विवेचना करके बिन्दुवार निष्कर्ष दिये है एंव अपीलांट द्वारा अवैध रूप से उपयोग में लाई गई या संग्रहीत मदिरा पर डयूटी के रूप में शासन को 22,76,937 रू0

के राजस्व की हानि पहुंचाने का निष्कर्ष दिया है जिसमें किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती है। अपीलांट को प्रदत्त एफ0एलफ0 लायसेंस की शर्तो का उल्लॅघन करना पाने के आधार पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बने मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 में वर्णित एफ0एल0 लायसेंस की शर्त कमांक 13 का उल्लॅघन होने से नियम 19 (1) के अंतर्गत अपीलांट पर रूपये 50,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई है । अपीलांट के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर ने आदेश दिनांक 5-8-2010 पारित करते समय किस प्रकार की विधिक त्रुटि की है। इसके विपरीत अपीलांट द्वारा अपील मेमो (मामले के संक्षिप्त विवरण) में दिये गये पद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 में अप्रत्यक्ष रूप से स्वतः अनियमिततायें एंव कमी-वेसियां होना स्वीकार किया है जिसके कारण आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, आबकारी मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5 (4)/2010-11/2343 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2010 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर